राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01430/2024

महेश कुमार बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजसथान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, भू–अभिलेख, जयपुर ग्रामीण।
4. उपखंड अधिकारी, उप खंड, चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण।
5. हेमराज जाट, पटवारी, पटवार मंडल, काठावाल, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से : श्री हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल काठावाला तहसील चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल श्रीपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर ग्रामीण में किया गया है। आलौच्य आदेश प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने की दृष्टि से जारी किया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.03.2024 से कार्यमुक्त कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2014 में पटवार मंडल रायती जिला चित्तौड़गढ में हुई है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 03.01.2019 (अनुलग्नक–3) की पालना में 04.01.2019से कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक ही जिले में किया गया है

जो राजस्थान लैंड रिकॉर्डस रूल्स 1957 (आगे इसे नियम 1957 कहा गया है)के नियम 9 एवं 412 की अवहेलना में जारी किया गया है। राजस्थान लैंड रिकॉर्डस रूल्स 1957 नियम 9 (1क) में स्पष्ट प्रावधान है कि **'' उपखंड अधिकारी किसी पटवारी का स्थानान्तरण उपखंड की भीतर कहीं भी कर सकेगा और कलेक्टर पटवारी स्थानान्तरण जिले के भीतर कहीं भी कर सकेगा।''** इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश से अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के भीतर किया गया है। जिसके लिए वह सक्षम अधिकारी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने राजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में एसबीसी डब्ल्यू पिटिशन संख्या 544/2021 पारित निर्णय में इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैद्य माना है। अतः आलौच्य आदेश अवैद्य, अनुचित, मनमाना एवं दुर्भावनापूण एवं बिना प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है जो अपास्त योग्य है।

अतः अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान कार्यरत स्थान पटवार मंडल काठावाला तहसील चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण में मय वेतन का भुगतान कर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आलौच्य आदेश पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुए नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है जिसमें कोई अवैद्यता, नियमों का उल्लघंन एवं दुर्भावनापूर्ण आशय नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.सी. सक्सेना बनाम भारत संघ एवं अन्य 2006(ए) एसीसी 538, शिल्पी बॉस बनाम बिहार राज्य (एएलआर 1991 एससी 532) एवं नम्रता वर्मा बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में पारित निर्णयों का हवाला देकर अपील खारिज करने का निवेदन किया। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी 2019 से निरंतर काठावाला में कार्यरत है। राजस्व मंडल द्वारा आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी सहित 538 लोकसेवकों का स्थानान्तरण लोकहित में प्रशासनिक कारणों के आधार पर किया है। पटवारी के स्थानान्तरण के संबंध में राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.11.2020 से नियम 9 (1बी) में संशोधन किया है एवं इसके ''स्वयं के अनुरोध पर'' वाक्यांश को हटा दिया गया है। नियम 9 में उक्त संशोधन के पश्चात राज्य सरकार एवं राजस्व मंडल द्वारा किसी भी पटवारी का स्थानान्तरण राज्स्थान में कहीं भी किया जा सकता है। राजपाल के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त नहीं किया है कि

राजस्व मंडल किसी पटवारी का स्थानान्तरण नहीं कर सकता। राजपाल प्रकरण हस्तगत प्रकरण से भिन्न प्रकृति का है। आलौच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैद्यानिक आदेश है। अधिसूचना दिनांक 12.10.2017 द्वारा पटवारियों की वरिष्ठता सूची अब राज्य स्तर से जारी होती है पहले मंडल स्तर से जारी होती थी। इससे पटवारी के अन्तर जिला स्थानान्तरण से उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पटवारियों के स्थानान्तरण के संबंध में दायर एसबीसी रिट पिटिशन संख्या 527/2021 गजेसिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में आदेश दिनांक 02.02.2021 द्वारा खारिज की गई है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने उभय विद्वान् अधिवक्तागण के उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन में पटवारी के पद पर पटवार मंडल काठावाला तहसील चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन से पटवार मंडल श्रीपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर ग्रामीण में किया गया है। अपील का मुख्य आधार/तर्क यह है कि राजस्व मंडल पटवारी का एह ही जिले के भीतर स्थानान्तरण के सक्षम नही है। राजस्थान लैंड रिकॉर्डस नियम 1957 के नियम 9 (1क) के तहत एह की जिले के भीतर स्थानान्तरण हेतु जिला कलेक्टर सक्षम है। प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन है कि उक्त नियम 1957 के नियम 9 (1ख) में अधिसूचना दिनांक 24.11.2020 द्वारा संशोधन के पश्चात राजस्व मंडल पटवारी का स्थानान्तरण राज्य में कही भी करने के लिए सक्षम है। नियम 1957 (1क) में जिला कलक्टर जिले के भीतर स्थानान्तरण के लिए सक्षम है परंतु 9 (1ख) में राजस्व मंडल पटवारी का स्थानान्तरण राज्य में कही भी करने के लिए सक्षम है। अतः आदेश नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यू रिट पिटिशन संख्या 544/2021 राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में राजस्व मंडल द्वारा याची का स्थानान्तरण जिला बाडमेर से जिला हनुमानगढ़ बिना पटवार मंडल अंकित करते हुए किया था। माननीय उच्च

न्यायालय ने इसे नियम 1957 के नियम 9(ा) के विपरीत मानते हुए आदेश अपास्त किया। इस प्रकरण के तथ्य हस्तगत अपील के तथ्यों से भिन्न है। अपीलार्थी की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यू रिट पिटिशन संख्या 16832/2022 किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 प्रस्तुत किया। यह प्रकरण भू–अभिलेख निरीक्षक के स्थानान्तरण से सबंधित जिनके संबंध में नियम 1957 में पृथक प्रावधान होने से इसकी प्रकृति हस्तगत प्रकरण से भिन्न है। अपीलार्थी की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यू पिटिशन संख्या 1367/2023 राजेन्द्र मंडा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा याची का स्थनान्तरण कार्यालय तहसीलदार भू–अभिलेख लाडनू से स्थानान्तरणधीन कार्यालय तहसील नागौर से तहसील फूलियाकला जिला भीलवाड़ा किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका में निहित आदेश को क्षेत्राधिकार के बिना एंव नियम 1957 के नियम 9(ा) के विपरीत मानते हुए अपास्त किया है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया हैः–

"18. The provisions of Rule 9 insofar as relevant inter alia reads as under:

> **"9. Transfers: (ia) The Sub-Divisional Officer may transfer a Patwari anywhere within the Sub-Division and the Collector may transfer a Patwari anywhere within the District:**
>
> **Provided that the State Government may direct the Collector for the transfer of a Patwari anywhere within the District.**
>
> **(ib) The Divisional Commissioner may transfer a Patwari anywhere within the Division and the Board of Revenue may transfer a Patwari anywhere within the State:**
>
> **Provided that the State Government may direct the Divisional Commissioner for the transfer of a Patwari anywhere within the Division or the Board of Revenue for the transfer of a Patwari anywhere within the State.**
>
> **(ii) Transfers of patwaris should not be made unless the officer has satisfied himself that such transfer is necessary in the interest of efficiency of work or to fill up vacancy created by long leave, resignation, dismissal, suspension or transfer of a Patwari. The Patwari going on transfer shall have to complete all his record and clear all his work in arrear before handling over charge to his**

successor. The Tehsildar may, with the approval of the Sub-Divisional Officer, get the incomplete record completed by employing extra staff and paying such staff by deducting the required amount from the salary of the negligent Patwari. The unsatisfactory work or conduct of a Patwari should not be a ground for his transfer but for penal action."

19. A perusal of the above provisions would reveal that the rule confers power on the Collector to transfer a Patwari within the District, on the Divisional Commissioner to transfer a Patwari anywhere within the Division and on the Board of Revenue to transfer a Patwari anywhere within the State. The said power shall have to be read in exclusion of one another.

20. The submission made by learned counsel for the State cannot be accepted that as the Board of Revenue has the power to transfer a Patwari anywhere within the State, the same would include the power to transfer within the District & Division, as the said interpretation would lead to overlapping powers between the District Collector and Divisional Commissioner qua the District, among the District Collector, Divisional Commissioner and Board of Revenue qua the District and between Divisional commissioner & Board Revenue qua the Division, which nature of uncertainty & confusion sought to be conferred by way of submissions before this Court cannot be countenanced.

21. The proviso to Rule 9(ib) is also very clear, wherein, the State Government may direct the Divisional Commissioner for transfer of a Patwari anywhere within the Division or the Board of Revenue for transfer of a Patwari anywhere within the State.

22. Similarly, under proviso to Rule (ia) the State can direct the Collector to transfer a Patwari anywhere within the District and, as such, for the purpose of issuing directions also the proviso are clear as to who may be directed for the said purpose.

23. The plea raised that the provision does not contain the words 'as the case may be' as they are contained in Rule 173 of the Rules, 1957 also has no consequence as even in absence of words 'as the case may be', the language of the provision is very specific.

24. In that view of the matter, apparently, the directions issued by the State Government to the Board of Revenue and passing of the order by the Board of Revenue transferring the petitioner within the same Division is contrary

to the provisions of Rule 9 the Rules, 1957 and, therefore, without jurisdiction."

उक्त न्याय निर्णय से स्पष्ट है कि जिले के भीतर पटवारी का स्थानान्तरण करने हेतु जिला कलक्टर सक्षम है। एक संभाग के भीतर स्थानान्तरण के लिए संभागीय आयुक्त एवं अन्तर संभाग पटवारी के स्थानान्तरण हेतु राजस्व मंडल सक्षम है। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्व मंडल द्वारा एक ही जिले जयपुर ग्रामीण में किया गया है। राजस्थान लैण्ड रिकॉर्डस रूल्स 1957 के नियम 9(1ए) एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजेन्द्र मंडा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार जिले के भीतर पटवारी के स्थानान्तरण के लिए जिला कलक्टर ही सक्षम है। राजस्व मंडल एक जिले के भीतर पटवारी का स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम नहीं होने से अपीलार्थी के संबंध में राजस्व मंडल द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज योग्य होने से अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 15.03.2024 को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य